कार्यालय कलेक्टर जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

क्रमांक 3646 / स्टेशनरी / 8 / 2021 राजगढ़ दिनांक 23 / 03 / 2021

–:: निविदा सूचना ::–

सर्व साधारण लेखन सामग्री से सम्बन्धित फर्मो को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये जिला कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के उपयोग हेतु समय–समय पर क्रय की जाने वाली लेखन सामग्री / स्टेशनरी की निविदा निर्धारित प्रारूप पर मय नमूना के जिला कार्यालय में दिनांक 31.03.2021 (बुधवार) समय दोपहर 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

निविदा फार्म एवं शर्ते तथा सामग्री की सूची जिला कार्यालय के अधीक्षक / स्टेशनरी शाखा कक्ष क्रमांक 147 से कार्यालयीन समय पर प्राप्त की जा सकती है।

(कलेक्टर महो.द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त कलेक्टर
जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

पृ. क्रमांक 3647 / स्टेशनरी / 8 / 2021 राजगढ़ दिनांक 23 / 03 / 2021

प्रतिलिपि,

1. आयुक्त, जन सम्पर्क (विज्ञापन), संचनालय, बाणगंगा रोड, भोपाल की ओर उपरोक्त निविदा की 4 प्रतियां संलग्न प्रेषित हैं। उक्त निविदा को दो दैनिक समाचार पत्रों में यथा स्थान निःशुल्क प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
2. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. **जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (NIC) राजगढ़ की ओर जिले की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।**
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समस्त ....
5. तहसीलदार (राजस्व) समस्त ....
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत समस्त ....
7. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर पंचायत, समस्त ....
   क्रमांक 3 से 6 तक की ओर निविदा सूचना पटल पर चस्पा कर तामीली प्रति उपलब्ध करवाने हेतु प्रेषित है।
8. उप संचालक, जन सम्पर्क कार्यालय, राजगढ़ की ओर निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित।

संयुक्त कलेक्टर
जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

कार्यालय कलेक्टर जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

—:: निविदा की शर्तें ::—

1. फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करते समय जी.एस.टी. नम्बर का प्रमाण—पत्र एवं पिछले 2 वर्ष का आयकर रिटर्न प्रमाण—पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा। यदि फर्मों द्वारा उपरोक्त प्रमाण—पत्र प्रस्तत नहीं किये जाते हैं तो निविदा मान्य किये जावे या नहीं यह अधिकार कलेक्टर राजगढ़ को पूर्णतः होंगे। इस पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही फार्मों द्वारा की जाती है तो यह भी मान्य नहीं होगी।
2. निविदाकार का सेल्स में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि कोटेशन के संलग्न प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, साथ ही जी.एस.टी. पंजीयन में स्टेशनरी फील्ड में सामग्री सप्लाई करना दर्ज भी होना चाहिए। पंजीकृत फर्मों/संस्थानों के ही निविदा प्रपत्र स्वीकार किये जायेंगे।
3. निविदाकार को अपना आधार कार्ड नम्बर एवं पेन कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. निविदा प्रपत्र फॉर्म दिनांक 23.03.2021 से 31.03.2021 तक प्रातः 10:30 से 03:00 बजे तक स्टेशनरी शाखा, कलेक्टोरेट राजगढ़ से प्राप्त किये जा सकेंगे।
5. निविदा प्रपत्र राशि रूपये 20,000/— (रूपये बीस हजार मात्र) की अमानत राशि के रूप में एफ.डी.आर. के साथ दिनांक 31.03.2021 को अपरान्ह 03:00 बजे तक स्टेशनरी शाखा में जमा किये जा सकेंगे, जो कि उसी दिन 31.03.2021 को अपरान्ह 04:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोले जावेंगे।
6. निविदा प्रस्तुत करते समय निविदाकार को संलग्न सूची पर निविदा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा सामग्री का नमूना, ब्राण्ड तथा कम्पनी का नाम एवं यदि पैकेट हो तो निकलने वाली सामग्री की संख्या उसमें अंकित कर कोटेशन पर हस्ताक्षर भी किया जाना अनिवार्य होगा।
7. निविदा मान्य होने पर स्वीकृत निविदाकार को सम्बन्धित कार्यालय द्वारा मांग पत्र/आदेश प्रदान करने पर लेखन सामग्री का प्रदाय कार्यालय में 3 दिवस में उपलब्ध कराना होगा। ऐसा न करने पर स्थानीय बाजार से अन्य दुकानदार से सामग्री क्रय की जावेगी तथा अन्तर की राशि स्वीकृत निविदाकार की अमानत राशि से वसूल की जावेगी।
8. निविदा प्रपत्र फार्म देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यक होगा कि सामग्री का ब्राण्ड, पैकेट में निकलने वाली सामग्री की संख्या आदि का उल्लेख आवश्यक रूप से करें तथा संलग्न सूची अनुसार इसी क्रम में सामग्री की दरें प्रस्तुत करें तथा नमूने पर अपनी स्वयं की मुद्रा तथा हस्ताक्षर करें।
9. सामग्री, प्रस्तुत किये गये नमूने एवं ट्रेडमार्क एवं प्रस्तुत की गई संख्या अनुसार इस कार्यालय को प्रदाय करना होगा, यदि दी गई दरें एवं प्रस्तुत किये गये सामग्री के नमूने अनुसार समग्री नहीं पाई गई तो आपके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर अमानत राशि राजसात की जावेगी तथा फर्म को ब्लेक लिस्ट घोषित किया जावेगा।
10. सभी निविदाकारों को नियमानुसार सभी टेक्स सहित अपनी दरें प्रस्तुत करना होगा, अलग से किसी भी प्रकार का टेक्स का भुगतान निविदाकार को नहीं किया जावेगा।

11. निविदाकार से नियमानुसार आयकर/अन्य कर की राशि यथासमय प्रचलित दर से कटोत्रा किया जाकर शेष राशि सम्बन्धित फर्म को ई पेमेन्ट के माध्यम से भुगतान किया जायेगा। इस हेतु बैंक खाते की जानकारी भी निविदा के साथ प्रस्तुत की जाना अनिवार्य होगी।

12. सामग्री के सामने खोले गये ब्राण्ड के अतिरिक्त भी यदि अन्य ब्राण्ड की सामग्री देना चाहते हो तो सूची के अन्त में उनकी दरें खोलें।

13. स्वीकृत सामग्री 31 मार्च 2022 के पश्चात नई दरें स्वीकृत होना अथवा मई 2022 तक जो भी पहले हो सामग्री उपलब्ध कराना होगा।

14. निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने या संतोषप्रद सेवाएं न देने पर धरोहर राशि राजसात कर ली जायेगी तथा अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा। निविदा स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार जिला कलेक्टर को होगा और इस सम्बन्ध में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। कोई भी न्यायिक प्रक्रिया की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र राजगढ़ रहेगा।

15. निविदा बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।

(कलेक्टर महो.द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :—सामग्री की सूची

संयुक्त कलेक्टर
जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.